



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126053

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19637 वर्ष 2026

लालधर यादव

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : कैलाश पति सिंह यादव, सुनील कुमार यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 4

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री कैलाश पति सिंह यादव, प्रथम सूचनाकर्ता के अधिवक्ता सुश्री ज्योति सिंह और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या-33 वर्ष 2026 में धारा 103(2), 109(1), 3(5), 115(2) और 352 बी.एन.एस. और सीआरएलए की धारा 7 के तहत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है। अधिनियम (आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम), थाना-औराई, जिला भदोही के विचारण के दौरान एक मामला दर्ज किया गया है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क यह है कि प्राथमिकी के साथ-साथ घायल गवाहों के बयान में, सह-आरोपी अनु यादव को आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचाने का विशिष्ट आरोप सौंपा गया है और उसके इंगित करने पर, एक पिस्तौल भी बरामद की गई है और आवेदक को किसी अन्य घायल व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। शव परीक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि मृतक की मौत बंदूक की चोट के कारण हुई है। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसी घटना में, आवेदक की ओर से चार व्यक्तियों को भी चोट लगी है, जिसके लिए आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा 28.03.2026 को 175(4) बी.एन.एस.एस. के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने साथ के हलफनामे में एक मामले के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। आवेदक 10.02.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. तत्सम विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

5. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 2025 एस०सी०सी० ऑनलाइन एस०सी० 3038** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एस०सी०सी० ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** में निर्धारित दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुणदोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किए बिना-, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र-को **अनुमति** दिया जाता है।

6. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **लालधर यादव** को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

9. आवेदक के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड के साथ-साथ जमानतदारों का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को जिला कारागार, भदोही के अधीक्षक के माध्यम से ई प्रिजन पोर्टल के माध्यम से तथा-मेल अथवा ई-माध्यम से-विचारण न्यायालय को ई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रे सं० (आपराधिक) स्वप्रेरणा से रिट याचिका :4 वर्ष 2021**, जिसका निर्णय दिनांक 31.01.2023 को पारित हुआ तथा जो (2024) 10 एस०सी०सी० 685 में प्रकाशित है, तथा **पीला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका सं० (आपराधिक) 169 वर्ष 2025**, जिसका निर्णय दिनांक 29.05.2026 को पारित हुआ, में पारित आदेशों के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

5 जून 2026

एस.सी